पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा.............../

अतिमहत्त्वपूर्ण
बैठक

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार,पटना।

पटना–15, दिनांक अगस्त, 2017

विषय :– मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से उद्भूत विभागीय कार्यवाही से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग का पत्रांक–1146/गो.मु.स. दिनांक 10.08.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की दिनांक **18.08.2017** को अपराह्न 03.00 बजे से निर्धारित समीक्षात्मक बैठक, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित अवमाननावाद तथा समादेश याचिकाओं पर प्रधान सचिवों/ सचिवों के साथ विमर्श के अनुरोध के आलोक में, अब उक्त तिथि को ही अपराह्न 03.00 बजे के बदले **अपराह्न 05.00** बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में होगी ।

अनुरोध है कि कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त समीक्षात्मक बैठक में, अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन के साथ, अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से सुनिश्चित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा.......147......./पटना–15, दिनांक 11 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11/8/17

सरकार के अवर सचिव।

अत्यावश्यक

पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा.................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
महानिदेशक, निगरानी, बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक अगस्त, 2017

विषय :– सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रैप केसेज (घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :– मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग का पत्रांक–1146/गो.मु.स. दिनांक 10.08..2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की प्रत्येक माह की द्वितीय बुधवार को *अपराह्न 03.00 बजे से निर्धारित समीक्षात्मक बैठक के तुरंत बाद सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रैप केसेज पर भी अलग से एक समीक्षात्मक बैठक* विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित अवमाननावाद तथा समादेश याचिकाओं पर प्रधान सचिवों/ सचिवों के साथ विमर्श किये जाने के अनुरोध के आलोक में उक्त समीक्षात्मक बैठक अब दिनांक 18.08.2017 को अपराह्न 03.00 बजे के बदले अपराह्न 05.00 बजे निर्धारित है, *जिसमें पुलिस महानिदेशक एवं निगरानी विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल रहेंगे ।*

अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित समेकित प्रतिवेदन के साथ, पूर्व प्रेषित विहित प्रपत्रों में ही, उक्त निर्धारित समीक्षात्मक बैठक में स्वयं अथवा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी सम्मिलित होने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा..........148................/पटना–15, दिनांक 11 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11.8.17

सरकार के अवर सचिव ।